

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 515 सन 2019

अनवान :-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी ढुकडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादी

दावा इस्तकशर हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :- 20/10/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्रय का पेश किया की रोही मौजा जोगीआसन न0 3 के खाता संख्या 66/61 की कुल 4.8310हैक् भूमि दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी की सकुनत ढाणी चारणान दर्ज कर रखा है जबकि वादी की सही सकुनत ग्राम ढुकडा तहसील व जिला सिरसा है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी की सकुनत गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही सकुनत ग्राम ढुकडा तहसील व जिला सिरसा है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का की सकुनत ग्राम ढुकडा तहसील व जिला सिरसा दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी की सकुनत ढाणी चारणान दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में सकुनत गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपनी सकुनत संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर ढाणी चारणान के स्थान पर ग्राम ढुकडा तहसील व जिला सिरसा संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।


वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेशेकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा जोगीआसन न0 3 के खाता संख्या 66/61 की कुल 4.8310हैक् भूमि दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी की सकुनत ढाणी चारणान दर्ज कर रखा है जबकि वादी की सही सकुनत ग्राम ढुकडा तहसील व जिला सिरसा है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी की सकुनत गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही सकुनत ग्राम ढुकडा तहसील व जिला सिरसा है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का की सकुनत ग्राम ढुकडा तहसील व जिला सिरसा दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी की सकुनत ढाणी चारणान दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में सकुनत गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपनी सकुनत संशोधन करवाना चाहता है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा जोगीआसन न0 3 के खाता संख्या 66/61 की कुल 4.8310हैक् भूमि दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय ग्राम ढुकडा तहसील व जिला सिरसा के स्थान पर ढाणी चारणान दर्ज किया गया है सही सकुनत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।


वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी की सकुनत ग्राम ढुकडा तहसील व जिला सिरसा दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी की सकुनत ग्राम ढुकडा तहसील व जिला सिरसा प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी की सकुनत में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज की अभिशषा के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्रम पंचायत कानसर के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीआसन न0 3 के खाता संख्या 66/61 की कुल 4.8310हैक् भूमि दर्ज है में वादी की सकुनत ग्राम ढाणी चारणान अंकित है के स्थान पर ग्राम ढुकडा तहसील व जिला सिरसा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
केम्प कोर्ट....चक सरदारपुरा.

प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाक्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी ढुकडा तहसील व जिला सिरसा
वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी


वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 515 सन 2018 निर्णय दिनांक- 20/10/2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड

अधिकारी नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीआसन न0 3 के खाता संख्या 66/61 की कुल 4.8310हैक् भूमि दर्ज है में वादी की सकुनत ग्राम ढाणी चारणान अंकित है के स्थान पर ग्राम ढुकडा तहसील व जिला सिरसा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
केम्प कोर्ट.....चक सरदारपुरा